[2014] 3 एस. सी. आर 568

रूपक कुमार

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 541-542/2014)

04 मार्च, 2014

[न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोस]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना-खाद्य निरीक्षक ने जेल में कैदियों के उपभोग के लिए परिसर में भंडारित वस्तुओं को मिलावटी पाया। परिसर-जेल अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (1) (ए)-समन जारी करने को रद्द करने के लिए याचिका-उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया-अभिनिर्धारित किया:धारा 7 किसी व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन को बेचने या भंडारित करने, बेचने या वितरित करने के लिए निर्माण करने से प्रतिबंधित करती है। धारा 7 का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति द्वारा दंडनीय है। धारा 16 के अंतर्गत-अभिव्यक्ति 'भंडारण' जैसा कि धारा 7 और 16 में उपयोग किया जाता है।. का अर्थ है बिक्री के लिए खाद्य पदार्थों की मिलावटी वस्तुओं का भंडारण-बिक्री के अलावा मिलावटी वस्तुओं का भंडारण धारा 16 की गलतियों के दायरे में नहीं आता है। इसलिए, आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई-खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 - धारा 16.

अपीलार्थी को जिला जेल अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था। खाद्य निरीक्षक ने जेल परिसर का दौरा किया और हल्दी और चावल सहित विभिन्न

सामग्रियों के नमूने एकत्र किए। उन वस्तुओं को कैदियों के उपभोग के लिए संग्रहीत किया गया था। सार्वजनिक विश्लेषक ने इन नमूनों को मिलावटी माना। अपीलार्थी के खिलाफ खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत अपराध का संज्ञान लिया और प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया। इसके खिलाफ पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दी गईं। इसके बाद, अपीलार्थी ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत आवेदन दायर किए।उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए, तत्काल अपील की जाती है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अवधारित कियाः

अभिनिर्धारित कियाः 1. खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 1954 की धारा 7 किसी व्यक्ति को किसी भी मिलावटी भोजन को 'बिक्री के लिए बनाने' या 'भंडार क से ' या 'बेचने' या 'वितरित' करने से रोकती है। किसी के द्वारा धारा 7 का उल्लंघन अधिनियम की धारा 16 के तहत दंडनीय है। अधिनियम की धारा 10 खाद्य निरीक्षक की शक्ति के बारे में बात करती है और इस धारा के तहत, उसे ऐसी वस्तु बेचने वाले किसी भी व्यक्ति से भोजन की किसी भी वस्तु का नमूना लेने का अधिकार है। प्रावधानों के एक संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि खाद्य निरीक्षक को उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तु बेचने वाले किसी भी व्यक्ति से भोजन की किसी भी वस्तु का नमूना लेने की शक्ति है, जबकि उप-धारा (2) उसे किसी भी स्थान पर प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है जहां भोजन सामग्री का निर्माण, भंडारण या बिक्री के लिए रखा गया हो और विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने ले सकते है। धारा 16 दंड का प्रावधान करती है। धारा 16 (1) के अनुसार, 'कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, बिक्री या भंडार के लिए निर्माण करता है या किसी भी मिलावटी वस्तु को बेचता है। दंडनीय है। तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी, एक जेल अधीक्षक ने चावल और हल्दी को संग्रहीत किया था और इसलिए, उसका कार्य अधिनियम की धारा 7 और 16 की अपशब्द के दायरे में आता है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, यह तय करने की

आवश्यकता है कि क्या अधिनियम की धारा 7 और धारा 16 में उपयोग की गई 'भंडारण' अभिव्यक्ति का अर्थ भंडारण सरलीकरण या बिक्री के लिए भंडारण होगा। अधिनियम की धारा 7, धारा 10 और धारा 16 के संयुक्त पठन से पता चलता है कि अधिनियम का उद्देश्य किसी भी भोजन की मिलावटी वस्तु की बिक्री को प्रतिबंधित और दंडित करना है। 'भंडार' शब्द उस संदर्भ और संयोजन का रुप लेगा जिसमें यह अधिनियम की धारा 7 और 16 में आता है। उपरोक्त 570 सिद्धांत को लागू करते हुए, बिक्री के अलावा भोजन की मिलावटी वस्तु का 'भंडारण' अधिनियम की धारा 16 की अपराध के दायरे में नहीं आता है। [कंडिका 6,7,9) [572-एच; 573-ए-बी; 57 4-8-घ, एच; 575-ए-डी]

दिल्ली नगर निगम बनाम लक्ष्मी नारायण टंडन, (1976) 1 546- पर भरोसा किया।

2. वर्तमान मामले में, यह आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने बिक्री के लिए मिलावटी खाद्य पदार्थ (हल्दी और चावल) को संग्रहीत किया था।लगाए गए आरोप कोई अपराध नहीं थे और इसलिए अधिनियम की धारा 16 (1) (क) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी पर मुकदमा चलाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अपीलार्थी का दोनों मामलों में अभियोजन रद्द कर दिया जाता है। [कंडिका 10,11) [575-G-H; 576-A-B]

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(1976) 1 एस. सी. सी. 546 कंडिका 9 पर भरोसा किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 541-542/2014

2010 के सी. आर. एल. एम. सं. 15471 और 15527 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 3.1.2011 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए नागेंद्र राय, शांतनु सागर, स्मारहर सिंह, गोपी रमन (टी. महिपाल के लिए)।

चंदन कुमार (गोपाल सिंह के लिए), सम्मी अली खान प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद ने दिया।

निर्णय

याचिकाकर्ता उस आदेश से व्यथित है जिसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा १६ (१) (ए) के तहत संज्ञान लेने और जारी करने की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है।

वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि जब याचिकाकर्ता को बिहार शरीफ जिला जेल के अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया था, खाद्य निरीक्षक ने जेल परिसर का दौरा किया और हल्दी और चावल सहित विभिन्न सामग्रियों के नमूने एकत्र किए।इन चीजों को कैदियों के खाने के लिए रखा जाता था। इस प्रकार एकत्र किए गए नमूनों को जांच और विश्लेषण के लिए भेजा गया और, सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, हल्दी और चावल निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए और इसलिए, उन्हें मिलावटी माना गया।तदनुसार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) के तहत अपराध किए जाने का आरोप लगाते हुए दो अलग-अलग अभियोजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं ।विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत और 18 मार्च 2006 दिनांकित आदेश द्वारा अपराध का संज्ञान लिया, जिसमें दोनों मामलों में प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अलग-अलग पुनरीक्षण आवेदनों में दोनों आदेशों की आलोचना की, लेकिन दोनों को खारिज कर दिया गया।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दो अलग-अलग आवेदन किए। उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन, 2010 की आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 15527 और 2010 की आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 15471।उच्च न्यायालय ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं में आक्षेपित आदेशों द्वारा दोनों आपराधिक

विविध आवेदनों को खारिज कर दिया है।इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की हैं।

अवकाश की अनुमति दी गई।

श्री नागेंद्र राय, अपीलार्थी की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील ने एक बहुत ही छोटा मुद्दा उठाया.वह प्रस्तुत करता है कि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी जेल का अधीक्षक था और मिलावट की गई खाद्य वस्तुएं बिक्री के लिए संग्रहीत नहीं की गई थीं, बल्कि कैदियों के उपभोग के लिए थीं.वह प्रस्तुत करता है कि अभियोजन रिपोर्ट के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए संग्रहीत नहीं किया गया था और इसलिए, आरोप अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) की शरारत के भीतर नहीं आते हैं। हमने आगे की प्रस्तुति पर विचार किया है और हम उसमें सार पाते हैं। अधिनियम की धारा 7, अन्य बातों के साथ-साथ, भोजन की कुछ वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है, जो इस प्रकार हैः

> "अध्याय 7. कुछ खाद्य वस्तुओं के निर्माण, बिक्री आदि पर प्रतिबंध।कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं किया जाएगा -
>
> (i) कोई मिलावटी खाद्य पदार्थ
>
> (ii) कोई भी गलत ब्रांडेड खाद्य पदार्थ
>
> (iii) कोई खाद्य पदार्थ जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंस निर्धारित किया गया है, लाइसेंस की शर्तों के अनुसार के सिवाय
>
> (iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण द्वारा बिक्री के लिए खाद्य पदार्थ जो इस समय के लिए प्रतिबंधित की गई हैं

(v) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में भोजन की कोई वस्तु. या

(vi) कोई मिलावट

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह खंड (iii) या खंड (iv) या खंड (v) में निर्दिष्ट मिलावटी खाद्य या गलत ब्रांडेड खाद्य या खाद्य की किसी वस्तु का भंडारण करता है, यदि वह ऐसे खाद्य को विक्रय के लिए उसमें से किसी खाद्य वस्तु के विनिर्माण के लिए भंडारित करता है।"

उपर्युक्त प्रावधान के सामान्य पठन से यह स्पष्ट है कि धारा 7 किसी व्यक्ति को अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी मिलावटी भोजन का 'बिक्री के लिए विनिर्माण' या 'भंडारण' या 'बिक्री' या 'वितरण' करने से रोकती है। धारा 7 का किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन अधिनियम की धारा 16 के तहत दंडनीय हैं। अधिनियम की धारा 10 खाद्य निरीक्षक की शक्ति के बारे में बात करती है और इस धारा के तहत उसे ऐसी वस्तु बेचने वाले किसी भी व्यक्ति से भोजन की किसी भी वस्तु का नमूना लेने का अधिकार है। यह धारा 10 (1) और 10 (2) को पुनः प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त है, जो इस प्रकार हैः

"धारा 10. खाद्य निरीक्षकों की शक्तियां - (1) खाद्य निरीक्षक को शक्ति होगी -

(ए) किसी खाद्य पदार्थ के नमूने -

(i) ऐसी वस्तु बेचने वाला कोई व्यक्ति

(ii) कोई व्यक्ति जो ऐसी वस्तु को किसी कि क्रेता या परेषिती को संप्रेषित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी कर रहा है

(iii) किसी परेषिती को ऐसी कोई वस्तु सुपुर्द किए जाने के पश्चात्, और

(बी) ऐसे नमूने को विश्लेषण के लिए उस स्थानीय क्षेत्र के लोक विश्लेषक को भेजना, जिसके भीतर ऐसा नमूना लिया गया है

(सी) संबंधित स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में खाद्य पदार्थों की किसी भी वस्तु की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकता है।

"स्पष्टीकरण-खंड (ए) के उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए," "परेषिती" "में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए कोई खाद्य वस्तु खरीदता है या प्राप्त करता है।"

(2) कोई खाद्य निरीक्षक किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है जहां खाद्य की किसी वस्तु का विनिर्माण किया जाता है, या बिक्री के लिए भंडारित किया जाता है, या बिक्री के लिए किसी अन्य खाद्य वस्तु के विनिर्माण के लिए भंडारित किया जाता है, या बिक्री के लिए अनावृत्त या प्रदर्शित किया जाता है या जहां किसी मिलावट का विनिर्माण किया जाता है या रखा जाता है, और विश्लेषण के लिए खाद्य या मिलावट की ऐसी वस्तु के नमूने ले सकता हैः

परन्तु इस उपधारा के अधीन खाद्य की किसी वस्तु का, जो प्राथमिक खाद्य है, कोई नमूना नहीं लिया जाएगा यदि वह ऐसे खाद्य के रूप में विक्रय के लिए आशयित नहीं है।”

उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य निरीक्षक को उप-धारा (1) के तहत ऐसी वस्तु बेचने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी भी खाद्य वस्तु का नमूना लेने की शक्ति है, जबकि उप-धारा (2) उसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है जहां किसी खाद्य वस्तु का निर्माण, भंडारण या बिक्री के लिए अनावरण किया जाता है और विश्लेषण के लिए ऐसी खाद्य वस्तुओं के नमूने लिए जाते हैं।धारा 16 में जुर्माने का प्रावधान है।धारा 16 (1) (ए) (i) और 16 (1) (ए) (ii), जो इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रूप में प्रासंगिक हैं:

> "धारा 16. दंड. - (1) उपधारा (आईए) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई व्यक्ति -
>
> (ए) चाहे स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में आयात किया जाता है या विक्रय के लिए विनिर्माण किया जाता है या किसी खाद्य वस्तु का भंडारण, विक्रय या वितरण किया जाता है-
>
> (i) जो धारा 2 के खंड (i ए) के उपखंड (एम) के अर्थ में मिलाया गया है या उस धारा के खंड (ix) के अर्थ में गलत ब्रांडेड या जिसकी बिक्री इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण के आदेश द्वारा प्रतिबंधित है।
>
> (ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट खाद्य वस्तु से भिन्न, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उल्लंघन में, या
>
> xxx xxx xxx"

इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी मिलावटी वस्तु का विनिर्माण करता है या उसे स्टोर करता है या बेचता है, दंडित किया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्तमान मामले में, अपीलार्थी, जेल का अधीक्षक, ने चावल और हल्दी का भंडारण किया था और इसलिए, उसकी रिष्टि अधिनियम की धारा 7 और धारा 16 के भीतर आता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करना आवश्यक है कि क्या अभिव्यक्ति भंडार जिसका उपयोग अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 16 में प्रयोग किया गया हैं का अर्थ पूर्णरुपेण भंडारण या बिक्रि के लिए भंडारण होगा। हमने अधिनियम की धारा 7, धारा 10 और धारा 16 के प्रावधानों का उल्लेख किया है और उनके संयुक्त पठन से यह प्रतीत होगा कि अधिनियम का उद्देश्य खाद्य की किसी भी मिलावटी वस्तु की बिक्री को रोकना और दंडित करना है। हमारी राय में, शब्द भंडार को अधिनियम की धारा 7 एवं 16 के संदर्भ एवं विन्यास असाधारण बनायेगा, जिसमें यह पाया जाता है। उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारी यह राय है कि विक्रय के लिए भिन्न खाद्य की मिलावटी वस्तु का 'भंडारण' अधिनियम की धारा 16 की रिष्टि के भीतर नहीं आता है। बिजली नगर निगम बनाम लक्ष्मी नारायण टंडन, (1976) 1 एससीसी 546 के वाद में इस न्यायालय को प्राधिकृत उदघोषणा के विचार में इस निवेदन में आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है। उक्त मामले में यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

> “14. उपरोक्त निर्दिष्ट प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिनियम की व्यापक योजना खाद्य की किसी भी मिलावटी वस्तु की बिक्री के लिए बिक्री, आयात, निर्माण, भंडारण या वितरण को प्रतिबंधित और दंडित करना है।‘भंडार’ और ‘वितरण’ शब्द इस संदर्भ से अपना रंग लेते हैं एवं धारा 7 और 16 में प्रयुक्त शब्दों का समायोजन से। "बिक्री के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए खाद्य की मिलावटी वस्तु का" "भंडारण" "या" "वितरण" "इस धारा की शरारत में नहीं आता है.....”

प्रस्तुत मामले में, यह आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने बिक्री के लिए हल्दी और चावल का भंडारण किया था.इसलिए, हमारी राय में, लगाए गए आरोप किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के तहत एक अपराध के लिए अपीलकर्ता का अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

परिणाम में हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, आक्षेपित आदेशों को रद्द करते हैं और दोनों मामलों में अपीलकर्ता के अभियोजन को रद्द करते हैं।

(चन्द्रमौली कु. प्रसाद), न्यायमूर्ति

(पिनाकी चन्द्र घोष), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

04 मार्च, 2014

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।